



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 27 फरवरी, 2006 ई0
फाल्गुन 08, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-9

संख्या 84/XXVII(9)/स्टाम्प/2006
देहरादून, 27 फरवरी, 2006

अधिसूचना

प0 आ0-21

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में "विकलांग दुकान निर्माण योजना" के अन्तर्गत आवंटित दुकानों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 84/XXVII(9)/Stamp/2006, dated February 27, 2006 for general information :

No.84/XXVII(9)/Stamp/2006
Dated Dehradun, February 27, 2006

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) (as applicable in the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to remit the stamp duty chargeable for the allotment of shops to handicapped persons under "Viklang Dukan Nirman Yojana".

By Order,

INDU KUMAR PANDE,
Pramukh Sachiv.